क्रम संख्या–3

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या यू0 ओ0 718/17

लखनऊ, 30 अक्टूबर, 1952

विज्ञप्ति

विविधि

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम 26, 1951) की धारा 2 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के गवर्नर, 1 नवम्बर, 1952 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से देवनागरी लिपि में हिन्दी निम्नलिखित के लिये उपयुक्त की जायगी:

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन प्रचारित अध्यादेश; और

(2) भारत के संविधान अथवा संसद या राज्य के विधान मंडल द्वारा बनाये गये किसी विधि (ला) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रचारित आज्ञा, नियम, विनियम तथा उपनियम।

आज्ञा से,

रणधीर सिंह,

सचिव।

क्रम संख्या–4

उत्तर प्रदेश सरकार

भाषा विभाग

6

संख्या 524/इक्कीस–3 (19)–68

लखनऊ, 19 फरवरी, 1968

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951) की धारा 2 द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा सरकारी विज्ञप्ति संख्या यू0 ओ0 718/17, दिनांक 30 अक्टूबर, 1952 के क्रम में राज्यपाल, 26 जनवरी, 1968 को ऐसा दिनांक नियत करते हैं जब से राज्य के समस्त राजकीय प्रयोजनों के संबंध में, जो उक्त विज्ञप्ति के अन्तर्गत न आते हों, देवनागरी लिपि में हिन्दी का प्रयोग किया जायगा।

आज्ञा से,

बिपिन बिहारी लाल,

मुख्य सचिव।